

| क्र | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|-----|--|---|
|     | 2  | 3   |
|     | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>(1)मनोज राम, पिता स्व० दशई राम (2)शिव सागर कुमार, पिता मनोज राम, मौजा-केसुरा, पोस्ट-रोला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-नवादा, थाना नं०-118, खाता संख्या-174, प्लॉट संख्या-1205, रकबा-20 डी० भूमि सुविता देवी उर्फ सुविता, पति तुलसी राम, ग्राम-नवादा, पोस्ट-बनहा, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि विक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाट संख्या-242/2021 पारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2764/रा० दिनांक-24.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 1165 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चैक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी है। आवेदित भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 3.40 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 0.20 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-143/VIII पर देवन्ती देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2020-21 तक लगान रसीद निर्गत है। विक्री की अनुमति मिस्त्रों के पश्चात् अन्य खाते से रकबा 0.57 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि विक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/यन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदकों के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की विक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> |   |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश कार्रवाई दिवसी तारीख |
|------------------------------|---|---------------------------|
| 1                            | 2   | 3                         |
|                              | <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1)मनोज राम, पिता स्व० दशई राम (2)शिव सागर कुमार, पिता मनोज राम, मौजा-कंसुरा, पोस्ट-रोला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारखाने अधिभियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-नवादा, थाना नं०-118, खाता संख्या-174, प्लॉट संख्या-1205, रकबा-20 डी० भूमि सुनिता देवी उर्फ सुनिता, पति तुलसी राम, ग्राम-नवादा, पोस्ट-बजहा, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p> |                           |